मुख्यमंत्री जन आवास योजना

भवन निर्माण अनुमति पत्र

Date: - 03-07-2025

मै0 सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रा0लि0

जरिये निदेशक श्री दिनेश यादव पुत्र श्री जसंवत सिंह

दुकान नंबर 02 जन आवास वाटिका, ग्राम राबड़का, तहसील टपूकड़ा, जिला -खैरथल तिजारा (राजस्थान)

विषय :– मैसर्स सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री दिनेश यादव पुत्र श्री जसंवत सिंह निवास दुकान नंबर 02 जन आवास वाटिका, ग्राम राबड़का, तहसील टपूकड़ा, जिला -खैरथल तिजारा (राज.) के खसरा नं0 541/384, 544/385 रकबा 15226.57 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत LIG/EWS के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम कालका, तहसील टपूकड़ा, जिला -खैरथल तिजारा (राज.) के खसरा नं0 541/384, 544/385 रकबा 15226.57 वर्ग मी0 भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के तहत आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) के भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल 3ए के भवन मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाते है।

01. यह स्वीकृति मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अधिकतम 05 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के तहत मानचित्र प्रस्तुत किये है। अतः जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत आने वाले समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा सुनिचित करनी होगी।
03. परियोजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गई है।
04. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
05. विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
06. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
07. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
08. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, अग्निशमन विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवषिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

03/07/25

Ar. Mansingh Meena
317, Krish Square, Opp.-MPS School
Bhagat Singh Colony, Bhiwadi (Alwar)
CA/2010/49305
CTP Raj./Architects/2021/38

Scanned with OKEN Scanner

09. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानो की पालना बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 के प्रावधान अनुसार सुनिष्चित कि जावे।

10. मानचित्र में दर्शाये अनुसार पाकिंग क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इसमें किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।

11. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिचित किया जावे।

12. भूखण्ड में नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।

13. अधिवास/पूर्णतया प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।

14. बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।

15. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्स की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिष्चित की जावेगी।

16. बीडा/संबंधित विभागों द्वारा किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो आवेदक द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी।

17. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/बकाया राशि बीडा द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि बीडा कोष में जमा करानी होगी।

18. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाईन्श की पालना विकासकत्ता द्वारा सुनिष्चित की जावेगी

19. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदानुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत ही निर्माण कार्य किया जावें।

Mans 03/07/25

Ar. Mansingh Meena
317, Krish Square, Opp.-MPS School
Bhagat Singh Colony, Bhiwadi (Alwar)
CA/2010/49305
CTP Raj./Architects/2021/38

मानसिंह मीना
(एम्पैनल आर्किटैक्ट)
सी.ओ.ए. नं. सीए/2010/49305
रजि0 न0 – सी0टी0पी0
राज/आर्किटैक्ट/2021/38

Scanned with OKEN Scanner